न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/152/2016 तारीख रजु 01.12.2016

उनवान

1. बदन पुत्र घन्टोली बगै0 जाति जाटव निवासी बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———वादीगण(04)

बनाम

1 मुन्शी पुत्र हरिसिंह जाति जोगी बगै0 निवासी बाजाना खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली।

————प्रतिवादींगण(05)

उपस्थिति:—

वादी की ओर से :— श्री शांतिलाल करसौलिया एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :— रामदयाल गुप्ता एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 17.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बावत् स्थाई निषेद्याज्ञा स्थित ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डोन के खसरा न. 1101, 1102, 1103, 1104, 1129, 1298, 1299, 1304, 1305, 1308, 1309 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार—बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 152/2016 बदन बनाम मुन्शी अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.06 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested